

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो09/S.H.A- 14/2021/(खंड) - 3089 /यो0वि0,पटना, दिनांक 06 जून, 2025  
प्रेषक,

तपन कुमार,  
सहायक निदेशक

सेवा में,

निदेशक  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय: बिहार सरकार के 7 निश्चय-2 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय-2 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना सामग्री संलग्न कर भेजी जा रही है। विज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री के चित्र के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पूर्व में प्राप्त है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि इसे सभी प्रमुख समाचार पत्रों में रंगीन पृष्ठ में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।


अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(तपन कुमार)  
सहायक निदेशक

ज्ञापांक: यो09/S.H.A- 14/2021/(खंड) - 3089 /यो0वि0,पटना, दिनांक 06 जून, 2025

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सहायक निदेशक



बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

## मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

विकसित बिहार के 7 निश्चय के अन्तर्गत  
आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत

राज्य के 8 लाख से अधिक युवा इस योजना से लाभान्वित।

- ✓ बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो या उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किये हों, वह रोजगार तलाशने के दौरान अधिकतम दो वर्षों तक आर्थिक मदद के रूप में सरकार द्वारा ₹1000 प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता के लिए आवेदन दे सकते हैं।
- ✓ इस योजनान्तर्गत लाभान्वित युवक/युवतियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा संवाद, व्यवहार कौशल एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का निःशुल्क प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।



योजना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी Online Portal:

[www.7nischay-yuvaupmission.bihar.gov.in](http://www.7nischay-yuvaupmission.bihar.gov.in)

अथवा अपने जिले में स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र  
(DRCC) से प्राप्त की जा सकती है।

**टोल फ्री नंबर : 18003456444**

<http://state.bihar.gov.in/planning>